



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261548
CG-DL-E-11032025-261548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1107]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946

No. 1107]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

सं. 63/2024-25

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 1116(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 और दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023, दिनांक 08.05.2024 की अधिसूचना सं. 12/2024-25 और दिनांक 13.09.2024 की अधिसूचना संख्या 29/2024-25, दिनांक 24.12.2024 की अधिसूचना संख्या 43/2024-25 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्त को 28 फरवरी, 2025 से 31 मई, 2025 तक बढ़ाती है। अन्य सभी नियम और शर्त उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसार समान रहेंगे।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप, जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया)

दिनांक 31 मई, 2025 को या इससे पहले जारी किया गया है, के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2[ए]पार्ट-VI/ई-9019]
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2025

No. 63/2024-25

Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC (HS) 2022, Schedule –I(Import Policy) -reg

S.O. 1116(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification Nos. 50/2023 dated 08.12.2023, 61/2023 dated 23.02.2024, 04/2023 dated 05.04.2024, 12/2024-25 dated 08.05.2024 and 29/2024-25 dated 13.09.2024, 43/2024-25 dated 24/12/2024 the Central Government hereby **extends** current Import Policy Conditions for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) from **28th February 2025 to 31st May, 2025**. All other terms and condition remain the same as in the above referred notifications.

Effect of the Notification: Import of Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to registration under online Import Monitoring System, with immediate effect for all import consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued on or before **31st May, 2025**.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.